

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक— पी0पी0एम0-86/2016-
प्रेषक,

551

/कृ0, पटना दिनांक 03-02-2017

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को जैविक उत्पादन प्रमाणन कार्य करने एवं इसके स्थापना मद में 18 (अठारह) अतिरिक्त पदों के सृजन तथा इसके लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल 719.71448 लाख (सात करोड़ उनीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस) रुपये सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2016-17 में एजेन्सी को 50.19000 लाख (पचास लाख उनीस हजार) रुपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को जैविक उत्पादन प्रमाणन कार्य करने एवं इसके स्थापना मद में 18 (अठारह) अतिरिक्त पदों के सृजन तथा इसके लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल 719.71448 लाख (सात करोड़ उनीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस) रुपये सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2016-17 में एजेन्सी को 50.19000 लाख (पचास लाख उनीस हजार) रुपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उत्पाद जैविक होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एजेन्सी को एपीडा (Agricultural & Processed Food Product Export Development Authority) से एजेन्सी को एक््रीडेटेड होना आवश्यक है। एपीडा के अनुसार एजेन्सी के स्वतंत्र इकाई/एजेन्सी होने पर ही एक््रीडेटेशन दिये जाने का प्रावधान है। बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी एवं बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी के अलग-अलग एजेन्सी के रूप में गठन होने से अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसलिए दोनों कार्यों के लिए एक एजेन्सी रखने का निर्णय लिया गया है।

3. बिहार में बीज प्रमाणन कार्य पूर्ववत चलता रहेगा परंतु जैविक प्रमाणन कार्यों के लिए एजेन्सी को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसका मुख्य दायित्व प्रमाणित बीज का उत्पादन, क्षेत्र का निबंधन करना एवं बीज उत्पादन में मानक गुणवत्ता को लागू करना है। साथ ही साथ यह एजेन्सी बिहार में जैविक उत्पादन क्षेत्र का निबंधन तथा मानक गुणवत्ता लागू कराते हुए जैविक प्रमाणन का कार्य भी करेगी। जैविक प्रमाणन के क्षेत्र में एजेन्सी को सुदृढीकरण करने हेतु आगामी 4 वर्षों के लिए जैविक प्रमाणन का लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जैविक प्रमाणन का लक्ष्य (हे0 में)
1.	2016-2017	2000.00
2.	2017-2018	4000.00
3.	2018-2019	7000.00
4.	2019-2020	10000.00

4. बिहार राज्य बीज उत्पादन प्रमाणन एजेन्सी अंतर्गत जैविक प्रमाणन एजेन्सी के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण कार्यों के लिए आगामी 4 वर्षों के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में जैविक प्रमाणन क्षेत्र का रकवा तथा इसमें होने वाले व्यय का आकलन किया गया है। एजेन्सी द्वारा इन वर्षों में जैविक प्रमाणीकरण से सम्भावित आय का भी आकलन किया गया है। एजेन्सी द्वारा जैविक प्रमाणीकरण के लिए आकलन की गई आय एवं व्यय का विवरण अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है। एजेन्सी को सहायक अनुदान की सीमा में राज्य सरकार द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी।

[Signature]

[Signature]
3.2.2017

5. एजेन्सी में जैविक कार्यों के लिए सृजित किए जाने वाले पदों का विवरण अनुसूची-2 एवं 3 के रूप में संलग्न है। संक्षिप्त विवरणी निम्न है-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	कार्य
1	उप निदेशक (जैविक प्रमाणन)	01	सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना। आंतरिक एवं बाह्य निरीक्षण का प्रतिवेदन तैयार कर उपस्थापित करना।
2	गुणवत्ता प्रबंधक	01	बाह्य निरीक्षण एवं अकॅक्षण का कार्य योजना तैयार कर निरीक्षक को अवगत करना। जैविक उत्पाद का गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
3	जैविक प्रमाणन निरीक्षक	11	NPOP के आलोक में बाह्य निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
4	उच्च वर्गीय लिपिक	01	कार्यालय के कार्यों का सम्पादन करना।
5	निम्न वर्गीय लिपिक	01	कार्यालय के कार्यों का सम्पादन करना
6	कम्प्यूटर आपरेटर	02	लेखा/ऑकड़ों का संग्रहण कम्प्यूटर में करना।
7	कार्यालय पदचर	01	कार्यालय कार्य करना।
कुल		18	

6. इन पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति एजेन्सी के द्वारा की जाएगी। पद सृजन के सम्बंध में एजेन्सी के शासी पर्सद की स्वीकृति प्राप्त है। नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। सृजित पद की अवधि योजना के कार्यान्वयन की अवधि तक की ही होगी।

7. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:- (राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष-2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या- 01, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-बीज, उपशीर्ष-0109-बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड- P2401001030109, राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5682, विषय शीर्ष- 3104 सहायक अनुदान वेतन	390.00	39.1482
मुख्य शीर्ष-2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या- 01, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0117 -बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड- P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5015, विषय शीर्ष-3104 सहायक अनुदान वेतन	100.00	10.0380
मुख्य शीर्ष-2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या- 01, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड- P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड AGR-5015, विषय शीर्ष-3104 सहायक अनुदान वेतन	10.00	1.0038
योग	500.00	50.19000

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी0टी0सी0 फार्म-42 पर सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा राशि बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पी0एल0 खाता संख्या- 269 में जमा की जायेगी।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या- पी0पी0एम0-86/06 के पृ० सं०-21/टि. पर दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त है।

Signature

Signature
7.2.2017

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- पी०पी०एम०-86/2016 के पृ०सं०- 23/टि० पर दिनांक- 03.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-86/2016 551 /क०, पटना, दिनांक 03-02-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
3-2-2017

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-86/2016 551 /क०, पटना, दिनांक 03-02-2017

प्रतिलिपि : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
3-2-2017

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-86/2016 551 /क०, पटना, दिनांक 03-02-2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
3-2-2017

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-86/2016 551 /क०, पटना, दिनांक 03-02-2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/संबंधित उप निदेशक (शष्प)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
3-2-2017

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Pipatti

